सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 57 / 2016 अपील (RCMS/2016/00044)
पंजीयन दिनांक – 27.06.2016
निर्णय दिनांक – 04.06.2018

1. श्री रतन सिंह पिता श्री प्रताप सिंह राजपूत, निवासी मान सिंह जी का खेड़ा, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्री नारायण सिंह पिता श्री प्रताप सिंह राजपूत, निवासी मान सिंह जी का खेड़ा, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़।

अपीलान्टस्

बनाम

1. श्रीमती प्रेमकुंवर पत्नि स्व. श्री कानसिंह जी राजपूत, निवासी मानसिंह जी का खेड़ा, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़।

– रेस्पोडेन्ट

उपस्थितिः–
1. श्री संजय सेन – वकील अपीलान्ट

अपील अर्न्तगत धारा–76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़ प्रकरण संख्या 02 / 2016 दिनांक 14.06.2016

निर्णय

दिनांक 04.06.2018

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अर्न्तगत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़ प्रकरण संख्या 02 / 2016 दिनांक 14.06.2016 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट श्रीमती प्रेमकंवर ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगरार समक्ष इस आशय से एक अपील प्रस्तुत की कि ग्राम लालास के खसरा न. 198 की भूमि में उसके पति स्व. श्री कानसिंह पिता

सावत सिंह का हिस्सा था तथा उसके पति की मृत्यु उपरान्त उक्त भूमि के नामान्तकरण विधिक वारिस श्रीमती प्रेमकंवर के नाम नहीं करके ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तकरण संख्या 136 दिनांक 15.07.1987 से श्री रतन सिंह पुत्र श्री प्रतापसिंह के नाम से कर दिया, जो विधि विरूद्ध है। जिससें ग्राम पंचायत द्वारा निर्णित नामान्तकरण को निरस्त किया जावें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार, गंगरार से खसरा रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसके अनुसार रेस्पोडेंट श्रीमती प्रेमकंवर कानसिंह की पत्नी है तथा कानसिंह के कोई पुत्र, पुत्री नहीं है। ग्राम पंचायत के निर्णय में अंकन है कि कानसिंह के कोई लडका नहीं है, रतनसिंह पिता प्रतापसिंह इनकी सेवाचाकरी कार्य किया है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगरार द्वारा रेस्पोडेंट श्रीमती प्रेमकंवर द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर आदेश दिनांक 14.06.2016 से प्रकरण तहसीलदार, गंगरार को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया कि उक्त प्रकरण की कृषि भूमि में मृतक कानसिंह पुत्र सांवतसिंह के हिस्से की सीमा तक मृतक के जायज वारिसान के सम्बन्ध में पुनः जांच कर नये सिरे से न्यायोचित निर्णय पारित करें। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेन्ट को जरिये सम्मन सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। वकील अपीलान्ट उपस्थित। रेस्पोडेंट की ओर से कोई उपस्थित नहीं। वकील अपीलान्ट की एकतरफा बहस दिनांक 22.05.2018 को सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगरार के न्यायालय में रेस्पोडेंट द्वारा नामान्तकरण संख्या 136 दिनांक 15.07.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील के जवाब में अपीलान्ट को सूचना पत्र तामील कराये ही स्वीकार करके नामान्तरकरण निरस्त करने में भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सूचना एवं बिना सूनवाई का अवसर दिये ही एक तरफा निर्णय करके अपील स्वीकार करने में प्राकृतिक न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के विपरित भारी भूल की है। दिनांक 14.06.2016 को चोगावड़ी कोर्ट केम्प में ही एक तरफा निर्णय पारित किया गया। खातेदार कानसिंह के कोई पुत्र–पुत्री नहीं होने से अपने खानदान के ही भतीजे रतनसिंह को बालपने में ही अपने पास पुत्रवत रख लिया जिसने उनकी जीवन पर्यन्त सेवा चाकरी की तथा क्रियाकर्म की रस्म की तथा इस तथ्य को सभी रिश्तेदार एवं पुरा गांव जानता है इस कारण कानसिंह के देहान्त के बाद नियमानुसार जांच रिपोर्ट की जाकर ग्राम पंचायत द्वारा प्रश्नगत आराजी से कानसिंह के हिस्से का नामान्तरण रतनसिंह के नाम स्वीकृत किया गया जिसे 30 साल बाद निरस्त करना

न्याय एवं विधि के विपरित है। अपीलान्ट रतनसिंह का वादग्रस्त भूमि पर स्व. श्री कानसिंह के जीवनकाल से कब्जा काश्त चला आ रहा है, रेस्पोडेंट का कोई कब्जा नही है। ऐसी स्थिति अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया है।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय, गंगरार द्वारा निर्णय दिनांक 14.06.2016 पारित किये जाने के समय अपीलार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किये दस्तावेजों के परिक्षण किया जाना प्रतीत नहीं होता है। न ही अपीलार्थीगण को उचित एवं पर्याप्त सूनवाई के अवसर प्रदान किये जाना प्रतीत होता है। पारित आदेश एक तरफा होना प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में हम अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन कर, पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझे है।

अतः अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। उपखण्ड अधिकारी, गंगरार का आदेश दिनांक 14.06.2016 निरस्त किया जाता है। प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, गंगरार को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलार्थीगण को उचित एवं पर्याप्त सूनवाई का अवसर प्रदान कर, दस्तावेजों का परिक्षण कर नियमानुसार नये सिरे से निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 04.06.2018 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(**भवानी सिंह देथा**)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर